प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. ....231/22........ दिनांक ....11/06/2022........

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम..धारायें..
(iii) अधिनियम.. धारायें..
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या..........201.......... समय ....12:10PM.
(ख) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक :– 10.06.2022 समय ....11.37 एएम...........
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– हनुमानगढ जंक्शन
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से उत्तर दिशा में करीब 300 किलोमीटर
(ब) पता :– श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री परविन्द्रसिंह
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री धन्नासिंह
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 34 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी वार्ड नं. 19, जंक्शन बस स्टेण्ड के पीछे हनुमानगढ ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री पवन कुमार गोयल पुत्र श्री रामजीलाल, उम्र–55 वर्ष, जाति अग्रवाल, निवासी मकान नं. आई–359, न्यू सिविल लाईन हनुमानगढ जंक्शन हाल प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..............................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 50,000 रूपये..............................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 28.05.2022 को समय करीब 12.48 पीएम पर परिवादी परविन्द्रसिंह के पिता श्री धन्नासिंह ने अपने मोबाईल नम्बर 6376871606 से श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक जाकिर अख्तर को कॉल कर हनुमानगढ रिको क्षेत्र स्थित सरस डेयरी के प्रबन्धक श्री पवन कुमार गोयल द्वारा रिश्वत की मांग करने तथा उसे रिश्वत नहीं देकर उसे रंगे हाथों पकडवाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादीगण को मुनासिब हिदायत दी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। परिवादी के चाहेनुसार मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 28.05.2022 को रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन के संबंध में कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर बताये जाकर समय 9.00 पीएम पर रवाना हनुमानगढ किया गया। श्री मूलचन्द कानि. ने दिनांक 29.05.2022 को मामलें में सत्यापन होने तथा रिश्वती राशि दिनांक 30.05.2022 को देने की कही। श्री मूलचन्द कानि. ने परिवादी से

वार्ता करवाई तो परिवादी ने आरोपी प्रबन्धक द्वारा 70,000 रूपये रिश्वत की मांग करने की कहते हुये दिनांक 30.05.2022 को हनुमानगढ पहूँच अग्रिम कार्यवाही करने की कही, जिस पर दिनांक 30.05.2022 को कार्यालय नगरपरिषद सीकर से श्री नागरमल एईएन एवं श्री मनोज सिंह कनिष्ठ सहायक को तलब कर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री रामनिवास कानि., श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती सुशीला महिला कानि. एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप हमरा लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों से समय करीब 6.20 एएम पर सीकर से रवाना होकर इस समय 12.10 पीएम पर परिवादी के चाहेनुसार हनुमानगढ जंक्शन स्थित ड्रीमलेन्ड कॉलोनी में उनके परिचित श्री जगदीशचन्द रणवां पुत्र श्री चुन्नीलाल के घर पहूँचा।

कार्यवाही पुलिस

30.05.2022

12.10 पीएम इस समय हनुमानगढ जंक्शन स्थित ड्रीमलेन्ड कॉलोनी में परिवादी परविन्द्रसिंह के परिचित श्री जगदीशचन्द रणवां पुत्र श्री चुन्नीलाल के मकान पर पहूँचा जहॉ श्री मूलचन्द कानि. एवं परिवादी परविन्द्रसिंह मय अपने पिता श्री धन्नासिंह के उपस्थित मिले। श्री मूलचन्द कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि " दिनांक 29.05.2022 को मैने हनुमानगढ में परिवादी से सम्पर्क कर डेयरी प्रबन्धक के सिविल लाईन स्थित निवास स्थान के पास पहूँच मैने परिवादी परविन्द्रसिंह को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाकर टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के वापिस आने पर टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया।" मजिद दरियाफ्त पर परिवादी परविन्द्रसिंह पुत्र श्री धन्नासिंह, उम्र–34 वर्ष, जाति सोनी, निवासी वार्ड नं. 19, जंक्शन बस स्टेण्ड के पीछे हनुमानगढ ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आश का पेश किया कि "श्रीगंगानगर रोड़ बाईपास औधोगिक क्षेत्र स्थित सरस डेयरी से हनुमानगढ जंक्शन में बुथों पर दुध सप्लाई करने हेतु मैने मेरी दो गाडिया टाटा 407 लगा रखी है, जो मैने वर्ष 2020 में टेण्डर प्रक्रिया अपनाकर लगाई थी। उक्त दोनों गाडियों का टेण्डर समाप्त हो चुका है। टेण्डर नहीं निकाले जाने के कारण श्री पवन कुमार प्रबन्धक ने मेरी गाडियों को छः महिने के लिये बिना टेण्डर के लगाया है। सरस डेयरी से जंक्शन के बुथों पर दुध सप्लाई करने के मुझे वर्तमान में 82 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलते है, जिसमें संबंधित बुथ पर सप्लाई किये गये दुध का भुगतान मुझे ही लाकर डेयरी में जमा करवाना होता है। डेयरी में गाडियों के टेण्डर समय बढाने के लिये मैने डेयरी प्रबन्धक श्री पवन कुमार गोयल से बात की तो उसने मेरी गाडियों का बिना टेण्डर समय बढाने के बदले में 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। मै डेयरी प्रबन्धक श्री पवन कुमार गोयल को रिश्वत के रूपये देना नहीं चाहता हूँ और उसे रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूँ। कार्यवाही करें।" परिवादी ने प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये श्री पवन कुमार डेयरी प्रबन्धक से पूर्व का कोई उधार लेनदेन एवं किसी प्रकार की कोई रजीश नहीं होना बताया। परिवादी के पिता श्री धन्नासिंह ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। परिवादी परविन्द्रसिंह ने बताया कि "दिनांक 29.05.2022 को मैने श्री मूलचन्द कानि. से टेप रिकार्डर प्राप्त कर श्री पवन कुमार के घर पर जाकर वार्ता की तो उसने बिना टेण्डर के मेरी गाडियों को डेयरी में लगायें रखने के बदले में मेरे से 70,000 रूपये रिश्वत की मांग की, मेरे द्वारा उनको निजी तौर पर उनके घर पर दुध दिया गया था, जिनके मेरे आठ माह के करीब 30,000 रूपये बनते है, उन दूध के रूपयों में से 20,000 रूपये काटने की कहते हुये शेष 50,000 रूपये अलग से देने की कही। परिवादी के पिता श्री धन्नासिंह ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि हुई।

परिवादी परविन्द्रसिंह ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में अपने पिता को नहीं रखने की कही। परिवादी परविन्द्रसिंह का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी परविन्द्रसिंह द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 29.05.2022 को आरोपी श्री पवन कुमार गोयल, प्रबन्धक सरस डेयरी हनुमानगढ से हुई बातचीत को डिजिटल टेप

रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण एवं आरोपी हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी परविन्द्रसिंह ने स्वंय की व आरोपी श्री पवन कुमार गोयल, प्रबन्धक सरस डेयरी हनुमानगढ की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी परविन्द्रसिंह ने हिदायत देने पर आरोपी श्री पवन कुमार गोयल, प्रबन्धक सरस डेयरी हनुमानगढ को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले दो–दो हजार के 25 नोट कुल 50,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8LD 917117
2–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9ED 081568
3–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8KU 073793
4–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7GF 865493
5–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 6GB 807596
6–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8AB 422326
7–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 6AT 378817
8–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7KK 986824
9–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0GP 968898
10–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 4AH 970865
11–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5KD 065749
12–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5DG 564266
13–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7KH 474568
14–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7CM 678281
15–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 3LR 034423
16–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5AE 970917
17–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2CT 108876
18–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7MR 759941
19–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2DK 015810
20–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8GV 998268
21–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5BA 298947
22–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8DR 219653
23–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9LM 789539
24–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8DC 326793
25–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9BE 526174

फिनोफ्थलीन की शीशी गाडी के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री नागरमल से परिवादी श्री परविन्द्रसिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 50,000 रूपयों के नोट श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से परिवादी के पहने हुये बुशर्ट की सामने की बांई जेबं सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत

समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी परविन्द्रसिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक को वाहन मे ही मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई। परिवादी परविन्द्रसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री पवन कुमार गोयल अपने कार्यालय में रूपये नहीं लेगा, वह रूपये अपने घर पर ही लेगा, जिस पर परिवादी के चाहेनुसार आरोपी पवन कुमार के निवास स्थान पहॅूचने के इन्तजार में मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के परिचित के मकान पर मुकिम हुआ। तत्पश्चात समय करीब 6.10 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9667299007 से श्री पवन कुमार के मोबाईल नम्बर 9414950046 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई तो आरोपी श्री पवन कुमार ने स्वयं का किसी कार्य में व्यस्त होना बताया, जिस पर परिवादी के चाहेनुसार आईन्दा ट्रेप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाकर परिवादी की जेब में रखी रिश्वती राशि के नोट कुल 50,000 रूपये निकलवाये जाकर नोटों को एक लिफाफे में डलवाकर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के हनुमानगढ से रवाना होकर सीकर पहॅूचा। प्रकरण से संबंधित वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.062022 को परिवादी परविन्द्रसिंह ने जरिये दूरभाष श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को कल दिनांक 09.06.2022 को हनुमानगढ पहॅूच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की कही, जिस पर जरिये दूरभाष प्रबन्धक रा.रा.प. प.नि. आगार सीकर को दो कर्मचारी उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 09.06.2022 को समय 5.30 एएम पर श्री रविन्द्र कुमार सैनी एवं श्री प्रभूदयाल चालकगण कार्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार सीकर को तलब किया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को हमरा लिया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्रीमती सुशीला महिला कानि. एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय रिश्वती राशि के नोट, ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप हमरा लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों से सीकर से रवाना होकर हनुमानगढ जंक्शन स्थित ड्रीमलेन्ड कॉलोनी में परिवादी के परिचित श्री जगदीशचन्द रणवां पुत्र श्री चुन्नीलाल के मकान पहॅूचा, जहॉ परिवादी परविन्द्रसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि ''कल मेरी श्री पवन कुमार गोयल प्रबन्धक से बात हुई तो उन्होने मुझे अपने कार्यालय में आज रूपये देने की कही है।'' परिवादी परविन्द्रसिंह का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। परिवादी परविन्द्रसिंह ने अपने स्तर पर मालूमात कर बताया कि अभी श्री पवन कुमार गोयल प्रबन्धक डेयरी में नही आये है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के श्री पवन कुमार गोयल के कार्यालय में आने के इन्तजार में मुकिम हुआ। तत्पश्चात समय करीब 05.00 पीएम पर परिवादी परविन्द्रसिंह ने बताया कि श्री पवन कुमार गोयल आज डेयरी में नहीं आये है। परिवादी ने दिनांक 10.06.2022 को श्री पवन कुमार को डेयरी में ही रिश्वती राशि देने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के परिवादी के परिचित के मकान में मुकिम हुआ।

दिनांक 10.06.2022 को समय करीब 10.20 एएम पर परिवादी परविन्द्रसिंह ने अपने स्तर पर मालूमात कर श्री पवन कुमार गोयल का डेयरी में आना बताया, जिस पर रिश्वती राशि के पाउडर लगे नोट कुल 50,000 रूपयों को लिफाफे से निकलवाया जाकर उनका मिलान पूर्व में बनी फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से दोनों गवाहान से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। गवाह श्री रविन्द्र कुमार चालक से परिवादी की जामा तलाशी लिवाई जाकर रिश्वती राशि के नोट श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से परिवादी के पहने हुये बुशर्ट की सामनें की बांई जेब में रखवाये जाकर परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के अन्य सदस्यों को तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। रिश्वत लेनदेन के समय टेप की जाने वाली वार्ता के लिये कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द किया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साबून पानी से धुलवाये गये। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक को वाहन में ही मुकिम रहने की हिदायत दी जाकर परिवादी श्री परविन्द्रसिंह को उसके वाहन से रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय

हमराहीयान पार्टी के सरस डेयरी की तरफ रवाना होकर समय करीब 11.00 एएम पर श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ जंक्शन के सामने पहॅूचा, जहॉ वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी को डेयरी में भेजा गया। परिवादी के पीछे–पीछे श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई एवं श्री मूलचन्द कानि. को सरस डेयरी के अन्दर भेजा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के वाहनों में ही परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय करीब 11.37 एएम पर हनुमानगढ जंक्शन में श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ के सामने मुख्य सड़क पर वाहनों में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी का तय ईशारा मिस कॉल की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय मौतविरान गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेता हुआ श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में बने प्रबंध संचालक के कमरे के सामने पहॅूचा जहॉ परिवादी खड़ा मिला जिन्होने प्रबंध संचालक के कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश कर दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि'' यही पवन कुमार गोयल है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से रूपये लेकर अपनी टेबल की दराज में रखे है'' इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड होना बताते हुये कहा कि'' मैने इनकी गाडियों की टेण्डर अवधि बढाने के रूपये लिये है, जो मेरी टेबल की दराज में रखे है'' मौके पर परिवादी ने बताया कि'' इन्होने मेरी गाडियों को चलाने के लिये मेरे से 70,000 रूपये रिश्वत की मांग की, मेरे द्वारा इनके घर पर दुध दिया गया था, जिनके मेरे आठ माह के करीब 30,000 रूपये बकाया चल रहे थे, मेरे बकाया दूध के उन दूध के रूपयों में से 20,000 रूपये काटने की कहते हुये शेष 50,000 रूपये अलग से देने की कही, आज मैने इनको रूपये देना चाहा तो इन्होने कहा कि परविन्द्र गडबड तो नहीं किता, फिर इन्होने रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी टेबल की दराज में रख लिये और दराज को बन्द कर लिया'' रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर आरोपी पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक का बांय हाथ श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 एवं दाहिना हाथ श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 के जरिये कलाईयों के उपर से पकडवाये गये। तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात गवाह श्री रविन्द्र कुमार से आरोपी की टेबल की नीचे की दराज खुलवाई तो दो–दो हजार रूपयों के नोटों की थेई दिखाई दी, जिनको गवाह श्री रविन्द्र कुमार से उठवाकर गिनवाया गया तो कुल 50,000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक की टेबल की नीचे की दराज जिसमें एलआईसी बीकानेर मंडल वेतन बचत योजना प्राधिकार पत्र प्रपत्र संख्या 155 जिसके उपर से रिश्वती राशि बरामद की गई, के बरामदगी स्थल का रूई के फौवे की सहायता से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क टी–1 एंव टी–2 अंकित किया गया। रूई के फौवे तथा प्रपत्र संख्या 155 के कागज को एक लिफाफे में डलवाकर लिफाफे को सील मोहर कर मार्क ''बी''

अंकित कर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक को परिवादी की गाडियों के टेण्डर बढाने के बारे में पूछा गया तो बताया कि'' दो महिने पहले जो टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई, उस समय कोर्ट केस होने के कारण मैने पूर्व में इनका तीन महिने के लिये अवधि बढाई थी, और फिर दिनांक 31.05.2022 को छः महिने के लिये इनकी अवधि बढाई गई है।'' परिवादी की गाडियों से संबंधित टेण्डर पत्रावली प्राप्त की जाकर पत्रावली की फोटों प्रति करवाई जाकर श्री जब्बार खान एएओ से प्रमाणित करवाकर पत्रावली के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस ली गई, मूल पत्रावली श्री जब्बार खान एएओ को सुपुर्द की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल हस्ब कायदा प्रथक से तैयार किया गया।

तत्पश्चात परिवादी परविन्द्रसिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन आरोपी श्री पवन कुमार गोयल, प्रबन्ध संचालक से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण एवं आरोपी हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी परविन्द्रसिंह ने स्वंय की व आरोपी श्री पवन कुमार गोयल, प्रबन्ध संचालक की आवाजों की पहचान की।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री पवन कुमार गोयल पुत्र श्री रामजीलाल, उम्र–55 वर्ष, जाति अग्रवाल, निवासी मकान नं. आई–359, न्यू सिविल लाईन हनुमानगढ जंक्शन हाल प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी परविन्द्रसिंह की डेयरी में बुथों पर दूध सप्लाई हेतु लगाये गये वाहनों, जिनकी टेण्डर अवधि समाप्त होने के पश्चात भी बिना टेण्डर किये चलाये रखने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 29.05.2022 को परिवादी से 70,000 रूपये लेने पर सहमत होना, जिनमें से परिवादी द्वारा आरोपी को उसके घर पर सप्लाई किये गये दुध, जिनके परिवादी के करीब 30,000 रूपये आरोपी में बकाया चल रहे थे, उन दूध के रूपयों में से 20,000 रूपये काटने की कहते हुये शेष 50,000 रूपये और रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में 50,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पवन कुमार गोयल, हाल प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ जंक्शन, जिला हनुमानगढ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 231/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2034-38 दिनांक 11.06.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. संचालक मण्डल, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जिला हनुमानगढ।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

11.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।